राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4797/2020

1. भूरा राम पुत्र टीकू राम, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम बिशाला आगोर, पोस्ट बिशाला, तहसील व जिला बाड़मेर।

2. हरी राम मीना पुत्र प्रभु दयाल मीना, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम पीलोदी, तहसील सिकराय, जिला दौसा।

3. छगना राम पुत्र इन्द्र राम, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम मदासर, पोस्ट नेडान, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर।

4. हरिओम मीना पुत्र गोपाल लाल मीना, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम उकेरी, पोस्ट भूड़ा, तहसील रेनी, जिला अलवर।

5. हरि प्रसाद मीना पुत्र रामस्वरूप मीना, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम खुर्द, पोस्ट भुलारी, तहसील रेनी, जिला अलवर।

6. महेंद्र सिंह पुत्र मांगी लाल, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी गांव भिंडाकुआ, पोस्ट बिठूजा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।

7. बाबू दान पुत्र हमीर दान, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी गांव आलमबार, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

8. मैना जगरवाल पुत्री कैलाश चंद खटीक, उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी गांव अलीगढ़, तहसील उनियारा, जिला टोंक।

9. कुलदीप मीना पुत्र घांसी लाल मीना, उम्र करीब 37 वर्ष, निवासी गांव अलीगढ़, तहसील उनियारा, जिला टोंक।

9. कुलदीप मीना पुत्र घांसी लाल मीना, उम्र करीब 37 वर्ष, निवासी गांव अलीगढ़, तहसील उनियारा, जिला टोंक। गांव सुंथली, पोस्ट धानुगांव, तहसील नैनवा, जिला बूंदी।

10. दिलीप कुमार पुत्र तारा राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी लखवाड़ा, तहसील चोहटन, जिला बाड़मेर।

11. सावित्री राव पुत्री रामधन राव, उम्र लगभग 39 वर्ष वर्ष, ग्राम नांवा, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर के निवासी।

12. डूंगर मल मेघ पुत्र भीमा राम मेघ, उम्र लगभग 83 वर्ष, निवासी ग्राम मेहरानगढ़, पोस्ट कोनरा, तहसील चोहटन, जिला बाड़मेर

13. सुमन पुत्री शुभकरण भांबू, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी भामासी, तहसील व जिला चूरू।

14. डालू राम चौधरी पुत्र रूपा राम चौधरी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम सादुलानियों का तला, पोस्ट सनावड़ा, जिला बाड़मेर।

15. निर्मला मूंड पुत्री कालू राम, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम असरजना, पोस्ट बिरकाली, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।

16. चिमा राम पुत्र अचला राम, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट गोलिया जेतमाल, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर।

17. धर्म सिंह पुत्र सुपारिया राम, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी जसवन्त नगर, हीरादास, भरतपुर।

18. रामकला कुमारी पुत्री चंदगी राम, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी मकान नंबर 370, सेक्टर 12/5, हनुमानगढ़।

19. आशा कुमारी पुत्री रामफल, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम सांगतेरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

20. किरण बाला सैनी पुत्री प्रहलाद कुमार सैनी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ईश्वर दास का मौहल्ला, ग्राम अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

21.सुमन पुत्री शीशराम, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम जाजोद (खारी), तहसील खण्डेला, जिला सीकर।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर।

5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, बाड़मेर।

6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक, बाड़मेर

--प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री हनुमान सिंह चौधरी

प्रतिवादी के लिए: श्री श्रवण कुमार

श्री ललित पारीक

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>10/05/2024</u>

1. याचिकाकर्ताओं की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ यह है कि उन्हें वर्ष 2017 में प्रतीक्षा/आरक्षित सूची के माध्यम से विलम्बित नियुक्ति के कारण

दिनांक 21.11.2019 के कार्यालय आदेश के खंड-5 के मद्देनजर वरिष्ठता, वेतन-निर्धारण आदि का काल्पनिक लाभ नहीं दिया गया।

2. प्रतिवादियों द्वारा अपने उत्तर में यह बचाव किया गया है कि याचिकाकर्ता दिनांक 21.11.2019 के आदेश के मद्देनजर काल्पनिक लाभ, वरिष्ठता आदि के बिल्कुल भी हकदार नहीं हैं, जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रतीक्षा/आरक्षित सूची से नियुक्ति पाने वाले उम्मीदवारों को यह लाभ नहीं दिया जाएगा। याचिकाकर्ता केवल अपने चयन और ड्यूटी ज्वाइन करने की तिथि से सेवा लाभ और कानून के प्रासंगिक प्रावधान के तहत आवश्यक परिवीक्षा अवधि पूरी करने के हकदार हैं।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

4. मेरी राय में, याचिकाकर्ताओं ने अपने नियुक्ति पत्र दिनांक 09.12.2017 (अनुलग्नक 2) के अनुसार अपनी नियुक्ति की शर्तों को जानबूझकर स्वीकार कर लिया है, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि इस स्तर पर उन्हें पलटवार के रूप में विलंबित रिट याचिका क्यों पसंद करनी चाहिए। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने एक बार काल्पनिक लाभ न लेने के लिए सहमति व्यक्त की थी, और ऐसा करना सही भी था, ताकि लिस को सौहार्दपूर्ण शांति मिल सके, बाद में 3 साल से अधिक समय के बाद उन काल्पनिक लाभों को प्राप्त करने के लिए रिट याचिका दायर करके अपना रुख बदल दिया।

5. इस आधार पर, रिट याचिका केवल देरी और कुंडी के आधार पर खारिज की जा सकती है।

6. यह सामान्य कानून है कि अधिकार, जो एक बार क्रिस्टलीकृत हो गए हैं, उन्हें केवल इसलिए फिर से आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि नियुक्ति की शर्तों को पहले से ही बहुत सचेत रूप से स्वीकार करने के कारण कुछ नाराज़गी है। किसी न किसी स्तर पर उन्हें अंतिम रूप दिया

जाना चाहिए, न कि उन्हें हमेशा अनिश्चितता की स्थिति में रखा जाना चाहिए।

7. इसके अलावा, 21.11.2019 का कार्यालय आदेश, जिसके आधार पर उनके दावे को अस्वीकार कर दिया गया है, यहां चुनौती के अधीन भी नहीं है। न तो इसे रद्द करने के लिए कोई प्रार्थना है और न ही रिट याचिका में इसे अलग रखने के लिए कोई आधार प्रस्तुत किया गया है। 8. तदनुसार, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। खारिज।

(अरुण मोंगा), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।